न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 04/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै0 भाईजी फूड प्रोडक्टस, प्रो0 योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा, 2 ई छोटी सत्यम नगर, श्री गंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 03.08.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं। श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11.2015 को 03:30 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मै0 भाईजी फूड प्रोडक्टस, प्रो0 योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा, 2 ई छोटी सत्यम नगर, श्री गंगानगर पहुंचे वहां श्री योगेश शर्मा दूध (कृष्णा) मिठाई बनाने हेतु एक टैंक में रखा हुआ था जो कि एक स्टील के टैंक में में 20 लीटर के आसपास दूध था जो वास्ते मिठाई बनाने हेतु रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जांच संख्या के–628 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 मि.ली. के हिसाब से लिया और खरीद शुदा दूध की कीमत अखरे रूपये 80/– श्री राजेश पुत्र श्यामलाल एवं राकेश सचदेवा गवाह सामने देकर रसीद प्राप्त की। भाई जी फूड प्रोडक्टस को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री योगेश शर्मा ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्रीभाई जी फूड प्रोडक्टस को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा दूध को चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक शीशी में 40–40 बूदें फार्मलीन की डाल कर डाट लगाया और लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–628 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–628 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर योगेश शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह राजेश पुत्र श्यामलाल एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

नं0 6 की सात प्रतियां तैयार की गई और ... जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–628 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास श्री तिलकराज , सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वासयि अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा दिया गया। जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को उक्त कर्मचारी के साथ भिजवाई। जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–628 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस / 3688 / एक्ट / 2015 / 2341 दिनांक 28.12.2015 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–628 दूध सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 5335 दिनांक 25–4–16 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त योगेश शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ। जवाब पेश किया। बहस सुनी गई।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त योगेश शर्मा से लिया गया मावा का सैम्पल के–628 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 3688 / एक्ट / 2015 / 2341 दिनांक 28.12.2015 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना दिनांक 9–11–15 को 3:30 पी.एम. पर लेना बताया है जबकि फर्द रिपोर्ट में 3:40 पी0एम0 लिखा गया है। फर्द रिपोर्ट में दूध प्लास्टिक बाल्टी में विक्रय हेतु रखा हुआ था, लिखा हुआ है जबकि फार्म नं 5 में एफएसओं द्वारा हस्त लिखित है कि विक्रेता दूध (कृष्णा) पाउडर से बना रहा था। दूध कृष्णा एक प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 15 किलो के आस पास था जबकि आवेदन पत्र में दूध कृष्णा मिठाई बनाने हेतु एक टैंक में रखा था जो कि स्टील टैंक में करीबन 20 लीटर के आस पास दूध था। एफएसओं द्वारा तैयार किये गये तीनो विधिक दस्तावेजों में भिन्नता है। एफएसओं द्वारा पैकिंग मैटिरियल को जब्त नहीं किया गया है। कृष्णा पाउडर स्कीम्ड मिल्क पाउडर होता है जो कि एसएसएसए एक्ट के अन्तर्गत दूध की परिभाषा में नहीं आता है। सैम्पल नमूने के साथ थैलियां नहीं भेजी गई, जिससे लेवल की जांच नहीं हुई। फार्म सं0 5 ए पर श्री योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल ने हस्ताक्षर किये हैं जबकि संलग्न फार्म सं0 5 ए में किसी दीपक नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। योगेश शर्मा के हस्ताक्षर किसी भी संलग्न दस्तावेजों की सूची अनुसार व नमूना स्लिप पर नहीं है। एफएसओ व उनके दोनों गवाहों द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गई हैं। फर्द रिपोर्ट मौका पर निरीक्षण का समय, निरीक्षण के दौरान, फर्म व फर्म का मालिक / भागीदार / नौकर इत्यादि में किसी के भी नाम व पत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट झूठी तैयार की गई है। फर्द रिपोर्ट पर योगेश शर्मा के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है। गवाहान के नाम व पता भी फर्द रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। परिवाद के साथ फार्म नं0 6 के द्वितीय व तृतीय भाग की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो रसीद लगी है, वह पार्ट 4 की है, जिसपर नमूना संख्या दर्ज नहीं है। पार्ट 4 की दो प्रतियॉ परिवाद के साथ संलग्न की गई हैं। एफएसओ द्वारा अभिहीत अधिकारी के पत्र क्रमांक 631–632 दिनांक 16.01.2016 को प्राप्त होना बताया है। दिनांक 18.01.2016 को भी पत्र क्रमांक 631–632 में जांच रिपोर्ट का विवरण दिया है। दोनों पत्रो पर एक ही पत्र क्रमांक व अलग अलग दिनांक होना संदेहास्पद है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आवेदन करने हेतु प्राधिकृत करने का पत्र डा0 नरेश बंसल द्वारा लिखा गया है जबकि दिनांक 25–4–16 को

Lavo

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A6
3

अभिहीत अधिकारी के पद पर डा0 असीजा पदस्थापित थे। डॉ. नरेश बंसल का कार्यकाल दिनांक 22.12.2015 को समाप्त हो गया था, उसके बाद दिनांक 23.12.2015 से इस पद पर डा. असीजा द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित किये गये है। उपरोक्त पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण एफ एस ओ द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए रंजिशवश दर्ज करवाया गया है । उसके संस्थान में कोई जॉच नहीं की गई है तथाकथित जॉच के समय मौका पर वह उपस्थित था। किसी भी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। सारी कार्यवाही एफ एस ओ द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। अतः प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जॉच रिपोर्ट कमांक एल.एस. /3688/एक्ट/2015/2341 दिनांक 28–12–15 में " दूध (कृष्णा) का सैम्पल सं0 के–628 लेने का विवरण दर्ज है। लिया गया सैम्पल के–628 शील्ड और इन्टेक्ट अवस्था में था। फिजिकल एपीरेन्स में वाईट कलर का लिक्विड था। मिल्क का ब्रान्ड नेम " मिल्क कृष्णा" अंकित है। फार्म सं0 5ए में फूड बिजनैस ऑपरेटर के रूप में दीपक के हस्ताक्षर है। फर्द रिपोर्ट पर भी दीपक के हस्ताक्षर करवाये गये हैं क्योंकि मौके पर बिजनैस को ऑपरेट वही कर रहा होगा। फर्द रिपोर्ट में भी दूध कृष्णा अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया सैम्पल दूध कृष्णा का के–628 है। जॉच रिपोर्ट के अनुसार जॉच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk fat Minimum 5.0% होनी चाहिए थी जबकि जांच में 3.90 प्रतिशत पाई गई है। जांच के बिन्दू संख्या 02 में Milk solids not fat Minimum 9.0% होनी चाहिए थी जबकि जांच में 8.70 प्रतिशत पाई गई है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया दूध कृष्णा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है जिसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ा) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त योगेश शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 2000–00 (अखरे रूपये दो हजार मात्र) आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/8/16

(करतारसिंह पूनियॉ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)